रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 239] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 1973/आश्विन 6, 1895
No. 239] **NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 1973/ASVINA 6, 1895**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 28th September 1973

G.S.R. 454(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Produce Cess Act, 1966 (15 of 1966), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Agriculture) No. G.S.R. 884, dated the 26th March, 1969, namely:—

In the table to the said notification, in the entries relating to S. Nos. 3, 5 to 13, and 15 to 23, in column 4, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Oilseeds, Copra and Cotton."

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 1973.

[No. 11-9/70-CAI(i)]

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1973

सा०का०नि० 454 (अ०).—उत्पाद उपकर अधिनियम, 1966 (1966 का 15) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के

भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 884, तारीख 26 मार्च, 1969 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं० 3, 5 से 13, और 15 से 23 से संबंधित प्रविष्टियों में, स्तम्भ 4 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

'तिलहन, गरी तथा कपास (बिनौला)'

2. यह अधिसूचना पहली अक्तूबर, 1973 से लागू होगी।

[सं० 11–9/70—सी०ए० I (i)]

G.S.R. 455(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution, the President hereby rescinds the notifications of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Agriculture) Nos. G.S.R. 2241, dated the 24th December, 1968 and G.S.R. 813, dated the 11th March, 1969:

Provided that such rescission shall not affect anything done or omitted to be done under the said notifications before such rescission.

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 1973.

[No. 11-9/70-CAI(ii).]

B. C. KAPUR, Addl. Secy.

सा०का०नि० 455 (अ०).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 2241, तारीख 24 दिसम्बर 1968 और सा० का० नि० 813, तारीख 11 मार्च, 1969 को एतद्द्वारा विखण्डित करते हैं,

परन्तु ऐसा विखण्डन, ऐसे विखण्डन के पूर्व उक्त अधिसूचना के अधीन की गई या न की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा।

2. यह अधिसूचना पहली अक्तूबर, 1973 से लागू होगी।

[सं० 11–9/70—सी०ए० I (ii)]

बी० सी० कपूर, अवर सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973